NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : NCRES/71/76/21 Date : 25.5.2021

श्रीमान महाप्रबंधक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषय :– कोविड–19 के संक्रमण से मृत NPS कर्मचारियों को रेलवे बोर्ड के नियमो के तहत नई पेंशन स्कीम से पुरानी पेंशन स्कीम में स्वीच ओवर किया जाना।

महोदय,

अवगत कराना है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में कोविड–19 के कारण बड़ी संख्या में नई पेंशन स्कीम (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों का निधन हुआ है जिसके कारण उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत परेशान है।

इस सम्बन्ध में NCRES को अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड के नियमो के तहत ऐसे NPS कर्मचारियों के परिवार के पास यह आप्शन है कि वे नई पेंशन स्कीम से पुरानी पेंशन स्कीम में Switch Over कर सकते है।

NCRES का मानना है कि विपदा में फंसे परिवारो को नई पेंशन स्कीम एवं पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ ज्ञात नही है इसलिये वे अज्ञानता वश नई पेंशन स्कीम से पुरानी पेंशन स्कीम में जाने का आप्शन नही ले पा रहे है।

अतः NCRES की मांग है कि मृत कर्मचारियों के परिवारो को पुरानी पेंशन स्कीम में जाने हेतु आप्शन फार्म के बारे में आवश्यक रूप से अवगत कराया जाय एवं इच्छुक कर्मचारियों के परिवार से ऐसा आप्शन फार्म लेकर उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन एवं डेथ ग्रेच्युटी आदि का लाभ तुरन्त दिया जाय।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

प्रतिलिपि :– प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज